पत्रांक– 464(प्र0) /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,
प्रधन सचिव

सेवा में,

विशेष जिला पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी,
अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा एवं पूर्णिया।

पटना–15, दिनांक– 4/11/08

विषयः कोशी आपदा से क्षतिग्रस्त हुए आवासीय मकानों की सूची तैयार करने के संबंध में।

महाशय,

कोशी आपदा में क्षतिग्रस्त आवासीय मकानों की प्रामाणिक सूची बना ली जानी है। कृपया यह सूची तुरंत बनवा ली जाय। इस संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं–

1. क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तैयार करने हेतु प्रत्येक पंचायत के लिए अलग–अलग दल गठित किया जाय। दल में कनीय अभियंता/प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारी, संबंध्ति क्षेत्रा के पंचायत सचिव/कर्मचारी/जनसेवक तथा स्थानीय चौकीदार हों।

2. यह सुनिश्चित करना है कि सूची बनाने में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो – किसी ऐसे आवासीय मकान को सूचीबद्ध नहीं करना है जो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है और न ही किसी क्षतिग्रस्त मकान को छोड़ना है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि क्षति कोशी आपदा से ही हुई है।

3. टीम के प्रभारी कनीय अभियंता/ सुपरवाइजर तथा कर्मचारी/भी0एल0डब्ल्यू0/पंचायत सचिव लाभान्वित के साथ क्षतिग्रस्त मकान के सामने खड़े होकर फोटोग्रापफी/विडियोग्रापफी करायेंगे। यह फोटोग्राफी/विडियोग्राफी मकान के चारों तरफ का होगा।

4. फोटोग्राफर/विडियोग्राफर का चयन तथा प्रतिनियुक्ति जिला स्तर से किया जायगा।

5. सूची पर प्रभारी पर्यवेक्षक तथा संबंधित पंचायत सचिव/कर्मचारी/जनसेवक का हस्ताक्षर होगा।

6. जिला स्तर पर उप समाहर्त्ता/अन्य जिलास्तरीय पदाधिकारियों का flying squad गठित किया जाएगा जो कि सूची तैयार होने के दौरान औचक भ्रमण कर यह जांच करेंगे कि सूची बनाने में कहीं पर कोई अवैध तुष्टीकरण की मांग तो नहीं की जा रही है एवं सूची सही लाभार्थियों की बनाई जा रही है। सूची तैयार करने में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर चयन दल के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे।

7. जिलास्तर पर एक अपर जिला दण्डाधिकारी स्तर के नेतृत्व में इस कार्य के दैनिक पर्यवेक्षण हेतु शिकायत कोषांग की स्थापना की जाएगी एवं इसके दूरभाष संख्या का प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाएगा। यह कोषांग भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को दर्ज करेगा एवं flying squad के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की तत्क्षण जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करेगा।

8. प्रखंड विकास पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि सूची के तैयार होने के दौरान अपने प्रखंड क्षेत्र में भ्रमणशील रहें एवं यह सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी सूची बनाने में लोगों से अवैध तुष्टीकरण की मांग नहीं हो रही है एवं त्रुटिरहित सूची तैयार की जा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड में सूचीबद्ध मामलों के 10 प्रतिशत तक की जांच सूची बनाते समय ही कर लेंगे एवं वे चिन्हित करेंगे कि उनके द्वारा किन मामलों की जांच की गई। कहीं पर सूची बनाने में गड़बड़ी होने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी उतने ही जिम्मेवार माने जाएंगे जितने कि संबंधित पर्यवेक्षक।

9. उप विकास आयुक्त एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी सूची बनाने के समय पंचायतों का सतत् भ्रमण कर बन रहे सूची की 5 प्रतिशत जांच स्वयं करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि सही सूची बनाई जा रही है। त्रुटि रहित सूची बनाना अंततः जिला पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु जिला पदाधिकारी प्रत्येक प्रखंड के लिए अलग से वरीय प्रभारी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी करेंगे।

10. सूची तैयार हो जाने के उपरांत उसे पंचायत अनुश्रवण समिति के समक्ष रखा जाएगा।

11. तैयार सूची एवं इससे संबंधित फोटो/सी0डी0 दिनांक 25.11.2008 तक अचूक रूप से जिला पदाधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।

12. यह अत्यंत ही संवेदनशील चयन का मामला है। अतः उपरोक्त पूरी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जाय एवं चयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर दोषी कर्मी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

(आर0 के0 सिंह)

प्रधान सचिव